



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 23.12.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मितौली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 07

अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 07 अभियुक्तों 1. लालू पुत्र माशूम 2. सलीम पुत्र बाबू 3. सद्दाम पुत्र मो० हनीफ 4. रशीद पुत्र नीजाम 5. मो० आशिफ पुत्र युसुफ अली 6. इदरीश पुत्र वशीर अहमद 7. अखिलेश पुत्र गार्गीदीन नि०गण कस्ता कालोनी थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 3300 रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किये गये। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 476/20 धारा 13 जुआ अधि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**थाना ईशानगर पुलिस द्वारा 3 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा सहित अभियुक्त
जामिन को गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना ईशानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त जमील पुत्र अमीन नि० सिसेया थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 03 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 634/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी के अभियान एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय, के कुशल मार्ग निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक ईसानगर के नेतृत्व में दिनांक 22.11.2020 को ईसानगर पुलिस टीम द्वारा 3.5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना ईसानगर पर मु0अ0सं0 634/208/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया। अभियुक्त जामिन पुत्र अमीन नि0 सिसैयाकलां थाना धौरहरा जिला खीरी का घालान किया गया।

नाम पता अभियुक्त

अभियुक्त जामिन उम्र 35 वर्ष पुत्र अमीन नि0 सिसैयाकलां थाना धौरहरा जिला खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना ईसानगर जनपद खीरी
2. का0 विनीत कुमार थाना ईसानगर जनपद खीरी
3. का0 विशेष यादव थाना ईसानगर जनपद खीरी

अभियुक्त के कब्जे से बरामद माल

1. 3.5 किलो गांजा
2. एक मोबाइल आईटेल कम्पनी सम्बन्धित मु0अ0सं0 607/20 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 बरामद हुआ।

थाना पलिया पुलिस द्वारा 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा सहित अभियुक्त

बिजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पलिया पुलिस द्वारा अभियुक्त बिजेन्द्र पुत्र शिवरत्न नि0 भांती नगर थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 653/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना पसगवां पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र व कारतूस सहित अभियुक्त असरर्फ
को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पसगवां पुलिस द्वारा अभियुक्त असरर्फ पुत्र भूरे नि० गडरियन पुर्वा थाना पसगवां खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 542/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र व कारतूस सहित अभियुक्त

आमिर पुत्र असलम को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त आमिर पुत्र असलम नि0 बेगमबाग थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर व 11 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 1148/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना फरधान पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब, 600 ग्राम यूरिया तथा शराब बनाने के उपकरण सहित शातिर अभियुक्त भास्कर को किया गया गिरफ्तार



प्रेस नोट

श्रीमान पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन में जनपद में वाछित/वारण्टी की गिरफ्तारी व जुर्म जरायम की रोकथाम हेतु अवैध शराब लिष्कर्षण बेचने व बनाने के विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही के पर्यप्रेक्ष्य में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23/12/2020 को प्रभाषी निरीक्षक के नेतृत्व में उ०नि० रामनारायण यादव मय हमराह का० राम सुख यादव का० अंगद यादव ग्राम देवकली टावर के पास मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली की थाना क्षेत्र का भास्कर पुत्र तेजपाल नि० सासिया कालोनी देवकली थाना फरधान खीरी जिसे रेहुआ घाट उल्ल नदी के किनारे अवैध शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के सम्बन्ध में मु०अ०स० 516/2020 धारा 272भादवि व 60(2) आबकारी अधिनियम परीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. भास्कर पुत्र तेजपाल नि० सासिया कालोनी थाना फरधान खीरी उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी माल :-

एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में 09 लीटर अवैध कच्ची शराब मय शराब बनाने के उपकरण मय 600ग्राम यूरिया

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

रेहुआघाट बहद उल्ल नदी बहद ग्राम सासिया कालोनी देवकली

अपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०स० 83/15 धारा 392/411 भादवि थाना फरधान जिला खीरी
2. मु०अ०स० 115/15 धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एवट थाना फरधान जिला खीरी
3. मु०अ०स० 117/15 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना फरधान जिला खीरी
4. मु०अ०स० 410/18 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना फरधान जिला खीरी
5. मु०अ०स० 592/19 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना फरधान जिला खीरी
6. मु०अ०स० 85/2020 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना फरधान जिला खीरी
7. मु०अ०स० 167/2020 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना फरधान जिला खीरी
8. मु०अ०स० 468/2020 धारा 10 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना फरधान जिला खीरी
9. मु०अ०स० 469/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना फरधान जिला खीरी
10. मु०अ०स० 516/2020 धारा 272भादवि व 60(2) आबकारी अधिनियम थाना फरधान खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० विमल गौतम
2. उ०नि० रामनारायण यादव
3. का० रामसुख यादव
4. का० अंगद यादव

थाना खीरी पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त रामदत्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त रामदत्त पुत्र गुल्लू नि० शंकरपुर थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 641/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**थाना धौरहरा पुलिस द्वारा 10,000/- ₹0 का इनामिया व गैंगस्टर एक्ट में
वांछित चल रहे अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्त हलीम को अवैध तमंचा व
कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार**



प्रेस नोट

**थाना धौरहरा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित/10000/- रुपये का इनामिया
अभियुक्त मय अवैध तमंचा मय कारतूस के साथ गिरफ्तार**

दिनांक 23.12.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश व श्रीमान क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के कुशल मार्ग दर्शन में मुझ प्रभारी निरीक्षक धौरहरा के द्वारा पुलिस टीम थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम व वांछित / शातिर अपराधियों की धर पकड़ने के सम्बन्ध में मुखबिर की सूचना पर थाना ईसानगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 566/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त हलीम पुत्र अमीर हमजा नि0 गो0 चिकमण्डी करबा व थाना धौरहरा खीरी को नरैना बाबा बबुसी मोड पर समय करीब 15.30 बजे मय एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार किया गया बरादगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 621/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट पंजीकृत किया गया अभियुक्त को माननीय न्यायालय विधिक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। अभियुक्त पर थाना धौरहरा व थाना ईसानगर व जनपद बहराइच व जनपद लखनऊ में अपराध कारित करता है। जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण

हलीम पुत्र अमीर हमजा नि0 गो0 चिकमण्डी करबा व थाना धौरहरा खीरी।

विवरण बरादगी

एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 799/18 धारा 379/411 भादवि थाना गोरसाईगंज जिला लखनऊ
- 2- मु0अ0सं0 818/18 धारा 379/411 भादवि थाना गोरसाईगंज जिला लखनऊ
- 3- मु0अ0सं0 1192/18 379/411/41 भादवि कोतवाली सदर खीरी
- 4- मु0अ0सं0 120/19 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना गोरसाई गंज जिला लखनऊ
- 5- मु0अ0सं0 345/2020 धारा 411/413/414 भादवि थाना ईसानगर खीरी
- 6- मु0अ0सं0 346/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना ईसानगर खीरी
- 7- मु0अ0सं0 761/2020 धारा 379/411 भादवि कोतवाली सदर खीरी
- 8- मु0अ0सं0 51/2020 धारा 379/411 भादवि थाना धौरहरा खीरी
- 9- मु0अ0सं0 290/19 धारा 379/411 भादवि थाना रूपैडिया बहराइच
- 10- मु0अ0सं0 212/19 धारा 379/411 भादवि जिला व थाना बहराइच
- 11- मु0अ0सं0 566/2020 धारा 2 / 3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना ईसानगर खीरी

अभियुक्त गण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के सदस्यों का नाम

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 90 लीटर अवैध कच्ची शराब, 03 अवैध भट्टी बरामद कर 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना सिंगाही	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मैलानी	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना मैगलगंज	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना नीमगांव	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	90 लीटर	07 अभियुक्त गिरफ्तार